

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य / माध्यमिक / शाला दर्पण / 60303 / वो.-2 / 2018-19/225 दिनांक:-22/7/19.

समस्त संस्था प्रधान

राउमावि / राबाउमावि / रामावि / राबामावि

विषय:- एसडीएमसी का 80 जी के तहत रजिस्ट्रेशन करने बाबत।

प्रसंग:- श्रीमान् उपायुक्त, सामुदायिक गतिशीलता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर के पत्रांक 3616 दिनांक 16.07.2019 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख हैं कि श्रीमान् उपायुक्त सामुदायिक गतिशीलता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर से प्राप्त पत्रांक 3616 दिनांक 16.07.2019 के अनुसार अधिकांश संस्था प्रधानों ने एसडीएमसी का 80 जी के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया है। यदि आप द्वारा 80 जी पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है अथवा पूर्ण नहीं की गई है, तो एसडीएमसी का सहकारिता विभाग से प्राप्त संलग्न पत्रानुसार पंजीकरण व पैन कार्ड हेतु आवेदन करवाकर प्रगति रिपोर्ट शाला दर्पण पोर्टल पर भी अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

जिल्हा शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-माध्य / माध्यमिक / शाला दर्पण / 60303 / वो.-2 / 2018-19

दिनांक:-22/7/19

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर
2. श्रीमान् उपायुक्त सामुदायिक गतिशीलता, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा।
4. रक्षित पत्रावली।

जिल्हा शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

email : cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स: 0141-2701822

फोन नं: 0141-2709114

क्रमांक : रास्कू.शि.प./जय/सामु.गति/2019-20/3616

दिनांक : 16/7/19

1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त -जिले।
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त -जिले।

विषय- SDMC का 80 जी के तहत रजिस्ट्रेशन बायत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि SDMC का 80 जी के तहत रजिस्ट्रेशन हेतु सहकारिता विभाग में पंजीकरण व पेन कार्ड आवश्यक है। आपके जिले के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में (संलग्न सूची) अनुसार प्रगति सूचना संलग्न कर प्रेषित है। अतः आपके अधीनस्थ जिन संस्था प्रधानों द्वारा 80 जी पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही नहीं की गई है अथवा पूर्ण नहीं की गई है, को पाबंद करें कि वे दिनांक 22.07.2019 तक SDMC का सहकारिता विभाग में पंजीकरण व पेन कार्ड हेतु आवेदन करवाकर प्रगति रिपोर्ट शाला दर्पण पोर्टल पर भी अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य दिनांक 22.07.2019 तक नहीं किया जाता है तो आपके तथा संबंधित संस्थाप्रधान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

(नसीम खान)

उपायुक्त(सामु0 गतिशीलता)

दिनांक : 16/7/19

क्रमांक : रास्कू.शि.प./जय/सामु.गति/2019-20/3616

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. उपायुक्त, (शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिला।
7. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त(सामु0 गतिशीलता)